(117)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3913–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–10–2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग राऊ, इंदौर, प्रकरण कमांक 28/अपील/2014–15.

.....

रामचरण पिता स्व0रामकिशन
निवासी ग्राम रंगवासा तहसील व जिला इंदौर

..... आवेदक

विरूद्ध

मोतीराम पिता स्व0रामकिशन
निवासी ग्राम रंगवासा तहसील व जिला इंदौर

.....अनावेदक

.....

श्री मुकेश लभाते, अभिभाषक– आवेदक
श्री अरूण मानकर, अभिभाषक– अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/10/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग राऊ, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–10–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 15–9–1983 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 19–3–15 को लगभग 32 वर्ष

विलम्ब से प्रस्तुत की गई एवं विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 27–10–2016 को अंतरिम आदेश पारित करते हुये अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया एवं प्रकरण संहिता की धारा 49(3) एवं व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के आवेदन पत्र पर जबाव हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ इस प्रकरण में केवल यह बिन्दु विचारणीय है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में अवैधानिकता की गई है अथवा नहीं ?

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा सहमति के आधार पर आदेश पारित किया गया है इसलिये अनावेदक को प्रारंभ से ही तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी रही है क्योंकि उनके द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रोसेडिंग पर हस्ताक्षर किये गये हैं ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि आवेदकपक्ष को उभयपक्ष की सहमति से प्राप्त होने के पश्चात् रामचरण ने बासूदेव को विकय कर दी गई है और दिनांक 30–3–1998 को कब्जा प्राप्त कर लिया गया है इससे स्पष्ट है कि अनावेदक को तहसीलदार के आदेश की जानकारी पूर्व से थी ।

(3) अनावेदक द्वारा दिनांक 11–10–07 को ग्राम रंगवास की पैतृक भूमि पर वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर अनावेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी अर्थात् ग्राम रंगवास की भूमि के संबंध में अनावेदक को पूर्व से ही जानकारी हो गई थी इसके बावजूद भी उसके द्वारा विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है

जिसे समयावधि में मानने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है ।

(4) अनावेदक की जानकारी में स्पष्ट रूप से यह तथ्य था कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् आदेश पारित किया गया है क्योंकि वर्ष 2010 में उसे नामान्तरण की जानकारी होने पर कार्यवाही करना थी परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(5) तहसीलदार द्वारा सहमति के आधार पर आदेश पारित किया गया है और सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती है ।

5/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 41 के अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत विधिवत् न तो उद्घोषणा का प्रकाशन किया गया है और न ही हितबद्ध व्यक्तियों पर सूचना पत्र की तामीली कराई गई है । अतः अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील जानकारी के दिनांक से समय सीमा में मान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत नियम 4(2) के अन्तर्गत बने नियमों का पालन नहीं किया गया है ।

(3) संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत न तो किसी भूमि का नाम कम किया जा सकता है और ना ही बढाया जा सकता है ।

(4) अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर कभी हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं और हस्ताक्षरों की फोरेंसिक जॉच कराये जाने पर हस्ताक्षर फर्जी पाये गये है।

(5) संहिता की धारा 47 के अन्तर्गत यदि पक्षकार को विधिवत् सूचना नहीं दी गई है, तो जानकारी के दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत की गई है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसील न्यायालय की आदेशिका में किये गये हस्ताक्षरों की जॉच हस्तलिपि विशेषज्ञ से कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें हस्तलिपि विशेषज्ञ द्वारा अनावेदक के हस्ताक्षर फर्जी होना बताये गये हैं, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा कर उनके समक्ष प्रस्तुत अपील समय सीमा में मान्य करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष भी उचित है कि संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत विपरीत आधिपत्य के आधार पर अधिकार देने की शक्तियॉ व्यवहार न्यायालय को प्राप्त है । ऐसी स्थिति में प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण किया जाना ही वैधानिक दृष्टि से उचित है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग राऊ, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–10–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर